केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय,राँची
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, REGIONAL OFFICE, RANCHI
(An Autonomous Body Under Ministry of Education, Govt. of India)
के.वि .नामकुम परिसर, नामकुम राँची, झारखंड-834010
KV Namkum Campus, Namkum, Ranchi, Jharkhand-834010
09102992109 (DC) ,09102992107(AC), 09102992108(FO)
E-mail: dcroranchi@gmail.com,acroranchi@gmail.com
aororanchi@gmail.com,fororanchi@gmail.com
Website: https://roranchi.kvs.gov.in/

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Ref. F. 40050/के.वि.सं./क्षे.का./रांची/2026-27/ 17307-87

दिनांक: **14.08.2026**

Speed Post/E-mail

कार्यालय आदेश

विभागीय परीक्षण/पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 20/22.07.2026 को आयोजित हुई एवं समिति की संस्तुति के आधार पर इस संभाग के केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत निम्नलिखित गैर शैक्षिक कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कॉलम संख्या – 6 में दर्शाये गए तिथि से संशोधित सुनिश्चित कैरियर उन्नयन (MACP) की स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

S. No.	Name of the employee with Designation	KV where working at present	Date of initial appt. with Post	Date of Appt. in Present Post	Date of Eligibility for MACP	1st,2nd, 3rd MACP	Pay Level
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ranjit Kumar, JSA	Singharsi	23.11.2015	23.11.2015	23.11.2025	1st	Level-3

विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा निम्नलिखित मामलों पर भी संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना के तहत वितिय उन्नयन प्रदान करने हेतु विचार किया गया परन्तु उनके नामों के सामने उल्लेखित कारणों से लाभ प्रदान करने पर विचार नहीं किया जा सका: -

S. No.	Name of the employees	Designation	KV where working	Reason
1	2	3	4	5
1.	Sh. Dilip Kumar Singh	ASO	No.1 Dhanbad	Pending vigilance clearance.
2.	Smt. Shobha Kumari	SSA	Sahibganj	APAR of 2026 not yet finalized, will be considered in due course.
3.	Smt. Meena Singh	JSA	Namkum	Regular promotion offered vide letter dtd.16.10.2025 but she refused before becoming entitled for an upgradation under the MACP Scheme as per rules.

(एस.वी.जोगलेकर)
उपायुक्त

वितरण:-

1. संबन्धित कर्मचारीगण उक्त आदेश जारी होने के एक माह के अंदर वेतन निर्धारण के लिए विकलप प्रस्तुत करें। एक बार प्रस्तुत किया गया विकलप पत्र अंतिम होगा।

...P/2

2. संबन्धित प्राचार्यगण ;- संबन्धित कर्मचारी के सेवा पुस्तिका मे प्रविष्ट करें एवं आदेश की प्रति व्यक्तिगत पत्रावली में रखे | संबन्धित कर्मचारी का वेतन निर्धारण हेतु सेवा पुस्तिका के साथ प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करें | यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण हो गया हो तो आदेश की प्रति संबन्धित विद्यालय को भेजे साथ ही यदि आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत होती है तो उसको आवश्यक दस्तावेज के साथ इस कयालय को सुधार / संशोधन हेतु भेजे|
3. संयुक्त आयुक्त (प्रशासनिक) के.वि.सं (मु.) नई दिल्ली को सूचनार्थ |
4. उपायुक्त, के.वि.सं.,समस्त क्षे.का. / आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र |
5. वित्त अधिकारी, के.वि.सं.,राँची संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु |
6. मान्यता प्राप्त संघों के महासचिव/ अध्यक्ष को सूचनार्थ |
7. गार्ड फ़ाइल |

14.03.2016

(एस.वी.जोगलेकर)
उपायुक्त